Herbal Research & Development Institute (HRDI)
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान (एच0आर0डी0आई0)
Mandal-Gopeshwar, Chamoli, Uttarakhand - 246 401
मण्डल–गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड – 246 401
Phone: 0001372-254210; Fax : 01372-254273 Website : hrdiuk.org Email : directorhrdiuk@gmail.com

अल्पकालीन निविदा

जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर (चमोली) उत्तराखण्ड की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु राज्य के पंजीकृत वाहन (बस) स्वामियों/फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्रं0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म मूल्य (रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रकाशन की तिथि	निविदा आमंत्रित की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर (चमोली) उत्तराखण्ड के कर्मचारियों के आवागमन हेतु Hire Basis पर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु एक 24 सीटर 06 टायर युक्त बस की सेवायें हेतु निविदा।	10.00 लाख	500.00	30000.00	24.07.2024	28.08.2024 समय 02:00 बजे अपराह्न	28.08.2024 समय 03:00 बजे अपराह्न

नोटः–

1. निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट निदेशक के नाम भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गोपेश्वर पर देय हो/धरोहर राशि जो FDR/TDR के रूप में निदेशक जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर (चमोली) के नाम बन्धक हो, निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
2. बिना निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार निदेशक जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर चमोली का होगा।
4. अन्य शर्तो की जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
5. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण संस्थान की बैवसाइट www.hrdiuk.org पर देखी जा सकती है अथवा डाउनलोड की जा सकती है, इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य दिवस को 10:00 बजे से 5:00 बजे तक निविदा प्रपत्र संस्थान कार्यालय मण्डल गोपेश्वर से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक

जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,

मण्डल–गोपेश्वर (चमोली)

उत्तराखण्ड

निविदा प्रपत्र

कार्य का नामः– गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु **Hire Basis** पर वित्तीया वर्ष 2024–25 हेतु एक 24 सीटर 06 टायर युक्त बस की सेवायें हेतु निविदा।

निविदा मूल्य–500.00

कार्यालयः– जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर चमोली, उत्तराखण्ड।

किराये पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

1. निविदा प्रपत्र का मूल्यः–	रू0 500.00
2. निविदा प्राप्त होने की तिथि एवं समयः–	दिनांक 28.08.2024 अपराह्न 2:00 बजे
3. निविदा खुलने की तिथि एवं समयः–	दिनांक 28.08.2024 अपराह्न 3:00 बजे
4. निविदा पर निर्णय के लिए वैधता अवधिः–	07 दिन
5. धरोहर धनराशि (वार्षिक दर का 3 प्रतिशत) :–	रू0 30,000.00

जडी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर (चमोली) के अधिकारी/कर्मचारियों के गोपेश्वर से संस्थान परिसर मण्डल तक आने–जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये Hire Basis पर 24 सीटर एक बस की व्यवस्था हेतु प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त आयकार/व्यापार की तथा परिवहन विभाग में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत Traveling Agency/ठेकेदारों/फर्मो/इच्छुक व्यक्तियों से एत्तद्वारा मुरहबन्द निविदा पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती हैं, जो निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष संस्थान मुख्यालय मण्डल स्थित कार्यालय में दिनांक 28.08.2024 अपरान्ह 3:00 बजे खोली जाएगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र रू0 500.00 के भुगतान पर संस्थान मुख्यालय मण्डल से किसी भी कार्यदिवस प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

मुहर बन्द निविदा 02 लिफाफा प्रणाली (Technical & Financial Bid) के अन्तर्गत आमंत्रित है। एक लिफाफे में समस्त तकनीकी अर्हता के प्रपत्र रखने होंगें तथा दूसरे लिफापे में मात्र दरें देनी होंगीं, जिन्हें क्रमशः तकनीकी बिड, वित्तीय बिड कहा जायेगा। तद्नुसार दोनों लिफाफों के ऊपर आवरण प्रविष्टि करते हुए लिफाफे पर निविदा दाता का नाम, पता स्पष्ठ लिख कर दोनो लिफाफे के ऊपर ''जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान हेतु 24 सीटर बस की व्यवस्था की निविदा'' तथा नाम व पता लिखा होना चाहिए। प्राप्त मुहरबन्द निविदाओं में सर्वप्रथम तकनीकी अर्हताओं का लिफाफा (तकनीक बिड) खोला जाएगा, अर्हताऐं पूर्ण करने पर ही दरों का लिफाफा (वित्तीय विड) खोला जायेगा।

निदेशक
जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान
मण्डल–गोपेश्वर चमोली
उत्तराखण्ड

तकनीकी निविदा (Technical Bids) के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रः—

1. वाहन का व्यवसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिए तथा वाहन का बीमा निविदा मांगे जाने की तिथि से कम से कम एक एक वर्ष के वैध होना चाहिए, जिसकी पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. वाहन चालक के पास मैदानी व पहाडी क्षेत्र में वाहन चलाने का H.M.V. (Hravy Motor Vehicle) ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए, जिसकी वैधता निविदा मांगे जाने की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक हो, पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

3. Motor Vehicle Act के अन्तर्गत वाहन का उपयोग किसी गैर कानूनी कार्य में न किया गया हो, इस आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

4. वाहन चालक की ओर से नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र कि उसका ड्राइविंग लाइसेन्स सभी आरोपों से मुक्त है तथा भारतीय दंण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा के अन्तर्गत उसके विरुद्व किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत नही है।

5. फर्म की दशा में पार्टनरशिप डीड सार्टिफिकेट/पावर ऑफ एटोर्नी अथवा एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित,।

6. निविदा के साथ संलग्न प्रारूप पर पते का प्रमाण पत्र, प्रपत्रों की संख्या का प्रमाण—पत्र, प्रपत्रों का वास्तविक होने का प्रमाण—पत्र तथा निविदादाता का सत्यापित फोटो का प्रामणा—पत्र।

7. किसी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी शासकीय प्रतिष्ठान द्वारा निविदा प्रक्रिया/किसी कार्य की शर्तो का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा में दण्डित न होने का शपथ—पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. निविदा की बैधता शर्तो के लिए रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00 का, हस्ताक्षर किया हुआ रसीदी टिकट तद्सम्बन्धी घोषणा संलग्न करना होगा।

9. धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) का रू0 30,000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मूल रूप में जो SBI की किसी भी शाखा में निदेशक जडी—बूटी शोध एवं विकास संस्थान पदनाम से बनवाया गया हो एवं गोपेश्वर एस0बी0आई0 शाखा गोपेश्वर में देय हो, जमा करना होगा।

10. फर्म की दशा में अद्यतन आयकर एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र

वित्तीय निविदा (Financial Bid) के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रः–

I. Price Bid/मूल्य सारणी (सूची) (मूल्य प्रस्तुत/इंगित करने के प्रयोगार्थ)।

निविदा की शर्ते :

1. वाहन 24 सीटर बस होना चाहिए अन्य बातों के समान होने पर TOP MODLE को वरीयता दी जायेगी।
2. (क) वाहन का मॉडल 01 जनवरी, 2023 से पूर्व का न हो, पुष्टि में वाहन की आर0 सी0 की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न करना होगा। अन्य बातों के समान होने पर कम प्रयुक्त की गई वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। वाहन के प्रयुक्त होने का मानक किमी0 होगा।
   (ख) निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा, को लिखित सूचना देते हुए विभाग के समक्ष प्राधिकारी की अनुमति पर निविदा/अनुबन्ध की सभी शर्तो के अधीन अनुबन्धित अवधि में वाहन तथा वाहन चालक को बदलने का अधिकार होगा।
3. वाहन का व्यवसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये तथा वाहन का बीमा निविदा मॉगे जाने की तिथि से कम से कम एक वर्ष के लिये वैध होना चाहिए जिसकी पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. वाहन चालक के पास मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने का H.M.V. (Hravy Motor Vehicle) ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिए जिसकी वैधता निविदा मॉगे जाने की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक हो, पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. Motor Vehicle Act के अन्तर्गत वाहन का उपयोग किसी गैर कानूनी कार्य में न किया गया हो, इस आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
6. वाहन चालक की ओर से नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र कि उसका ड्राइविंग लाइसेन्स सभी आरोपों से मुक्त है तथा भारतीय दंण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा के अन्तर्गत उसके विरुद्व किसी प्रकार का अपराध पंजीकृत नही है।
7. फर्म की दशा में अद्यतन आयकर व व्यापार कर का पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
8. एकमात्र प्रोपराइटर की दशा में अद्ययतन आयकर का पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
9. फर्म की दशा में पार्टनरशिप डीड सार्टिफिकेट/पावर ऑफ एटोर्नी अथवा एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित, प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदा के साथ संलग्न प्रारुप पते का प्रमाण–पत्र, प्रपत्रों की संख्या का प्रमाण–पत्र, प्रपत्रों का वास्तविका होने का प्रमाण–पत्र, तथा निविदादाता तथा वाहन चालक का सत्यापित फोटो का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
11. किसी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा अन्य किसी शासकीय प्रतिष्ठान द्वारा निविदा प्रकिया/किसी कार्य की शर्तो का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी संगीन धारा में दण्डित न होने का शपथ–पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. रुपया 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00 का, हस्ताक्षर किया हुआ रसीदी टिकट लगाकर निविदा की वैधता शर्तो के साथ संलग्न करना होगा।
13. निदेशक जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
14. सशर्त, अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके साथ दी गयी शर्तो को हस्ताक्षरित करेगा और अपना/अपनी फर्म का नाम व पता स्पष्ट रुप से अंकित करेगा।
16. निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (अर्नेस्टमनी) रू0 30,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकरर्स चैक जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाया गया तथा निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर (चमोली) के नाम भुगतान हेतु बनवाया गया हो और कम से कम आगामी 3 माह के लिये वैध हो तथा जो गोपेश्वर स्थित किसी बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो, तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा, अन्य के रुप में तथा जिसका भुगतान गोपेश्वर में प्राप्त करना संभव न हो स्वीकार्य नहीं है, प्रस्तुत ऐसे अपूर्ण निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

17. वाहन के किराये की दर वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये प्रतिमाह की दर से Price Bid के निर्धारित प्रपत्र, जो भाग—ग से निर्दिष्ट है, में यथास्थान शब्दों व अंकों में स्पष्ट अंकित की जाय।
18. Hire Basis पर वाहन की व्यवस्था के ठेके के सम्बन्ध में वाहन का अनुरक्षण, चालक का मानदेय Motor Vehicle Act. के अन्तर्गत समस्त Tax निविदादाता को यथासमय करने होगें तथा वाहन को कार्यशील स्थिति में एवं सभी देनदारियों से मुक्त रखते हुए उपलब्ध कराना होगा। विभाग इस सम्बन्ध में किसी भी मॉग को स्वीकार नहीं करेगा।
19. वाहन की उपयोग मय चालक राजकीय कार्य में आवश्यकता पड़ने पर 7x24 घन्टे में किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिये वाहन को संस्थान परिसर में ही खड़ा करना होगा।
20. निविदादाता को वाहन के खराब होने अथवा चालक के अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल दूसरा वाहन/चालक उपरिलिखित शर्तो के अधीन उपलब्ध कराना होगा असमर्थता की दशा में भुगतान से यथोचित धनराशि बतौर हर्जाने काटी जा सकती है, जिसका निर्धारण अनुबन्ध में दोनों पक्षों के आपसी सहमति से किया जायेगा।
21. Hire Basis पर वाहन की व्यवस्था हेतु दरें पी0ओ0एल0 सहित एवं पी0ओ0एल0 रहित प्रतिमाह के लिये आमंत्रित की गयी है, तद्नुसार ही दरें अंकों व शब्दों में स्पष्ट रुप से अंकित की जाय।
22. निविदा वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये आमंत्रित है, किन्तु कार्य असंतोषजनक होने पर इसकी अनुबन्ध अवधि को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है तथा राजकीय व जनहित में खुले बाजार से वाहन अनुबन्धित कर दिया जायेगा इस कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति अनुबन्ध में असफल पक्षकार जिसे अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा से की जायेगी। ग्राहक विभाग इस हानि की प्रतिपूर्ति सेवादाता के चल—अचल सम्पति से करने को स्वतंत्र होगा।
23. कार्यक्षेत्र में कार्य करते हुये यदि कोई दुर्घटना होती है, तो किसी भी मानवीय क्षति अथवा वाहन क्षति के प्रतिपूर्ति का दावा विभाग स्वीकार नहीं करेगा। यह निविदादाता का स्वयं का व्यय व जोखिम होगा।
24. निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा, के बिलों का भुगतान करते समय नियमानुसार आयकर/व्यापार कर एंव अन्य अनुमन्य कर जो भी देय हो उस समय प्रभावी दरों पर कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि संप्रेक्षा से किसी प्रकार की कटौती के आदेश प्राप्त होते है, तो सेवादाता की जमानत की राशि से वसूली की जाएगी।
25. निविदा की दरें स्पष्ट रुप से अंकित की जाय, किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नहीं है।
26. निविदादाता की निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्धित वाहन से विभागीय उपयोग राजकीय हित में हो ऐसा सुनिश्चित करने की दृष्टि से वाहन के दोनो ओर जड़ी—बूटी शोध एवं विकास संस्थान लिखवाना अनिवार्य होगा।
27. निविदा स्वीकार किये जाने के उपरान्त अनुबन्धित वाहन में प्रस्तर—26 में उल्लिखित, वाहन की विभाग का नाम लिखवाने के उपरान्त अनुबन्धित अवधि तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की छेडछाड़ नहीं की जायेगी ऐसा करना अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन माना जायेगा और प्रस्तर—22 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वाहन पर विभाग का नाम लिखवाने के कारण किसी भी क्षति का दावा भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।
28. (क) अनुबन्धित अवधि में निविदादाता द्वारा निविदा के मूल्य सारणी (सूची) (मूल्य प्रस्तुत/इंगित करने के प्रयोगार्थ)/Price Bid में दिये गये वाहन के औसत में विचलन स्वीकार नहीं होगा।
(ख) निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिये किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय आदि देय नहीं होगा और नहीं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार होगा।
29. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे कार्य की लागत के अनुसार 10 प्रतिशत जमानत की राशि, 7 दिन के अन्दर अथवा निविदा स्वीकार पत्र में निर्धारित तिथि तक किसी राष्ट्रीकृत बैंक के CDR/FDR जो गोपेश्वर स्थित किसी बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो अथवा डाकघर एन0एस0सी0/पासबुक आदि के रुप में जमाकर जो कम से कम आगामी तीन वर्ष के लिये वैध हो तथा जो **निदेशक, जड़ी—बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल—गोपेश्वर, चमोली के पक्ष में बन्धक हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।** निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुबन्ध गठित न करने अथवा निविदा की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध संपादित न करने पर अर्नेस्टमनी जब्त की सकती है।

30. निविदा के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन करने का कड़ा निषेध है, ऐसे निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
31. निविदा के समय मूल प्रमाण–पत्र भी साथ लाने होगें, और मॉगे जाने पर तद्समय ही प्रस्तुत करने होंगे।
32. निविदा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रचार जिससे निविदा की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अयोग्य घोषित करने के लिये प्रर्याप्त होगा।
33. निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा, के मध्य इस अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होने पर इसके निराकरण हेतु निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर, चमोली मध्यस्थ होंगे, उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। इस अनुबन्ध के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद किसी भी न्यायालय में विचारयीण नहीं होगा, वह मात्र उक्त मध्यस्थता से समाधान किया जायेगा।
34. यदि निविदादाता जिसे निविदा स्वीकार होने के उपरान्त अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा कार्य करने में अक्षम रहता है, अथवा M.O.U. /अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी, और उसका अनुबन्ध निरस्त किया जाएगा, और वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी। इसके कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति सेवादाता से की जाएगी। निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर, चमोली निविदादाता के किसी भी स्रोत चल अथवा अचल सम्पति से इसकी प्रतिपूर्ति करने को स्वतंत्र होगें। जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर, चमोली का निर्णय इस सम्बन्ध में अंतिम होगा।
35. निविदा स्वीकार होने पर उपरोक्त सभी शर्ते तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समझौता ज्ञापन M.O.U. /अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तो का एक भाग हो जायेगी।
36. यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में राज्य स्तर से वाहन के अनुबन्ध की शर्तो में कोई बदलाव या दिशा निर्देश प्राप्त होते है तो वह तुरन्त लागू कर दिया जायेगा जो कि वाहन स्वामी को मान्य होगा।
37. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड होगा।

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
मण्डल–गोपेश्वर (चमोली)

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तो को भली–भॉति पढ़ लिया है, और मैं/हम इनका अनुपालन करने हेतु सहमत हूॅ/है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

खण्ड–(ग)–Price Bid/मूल्य सारणी (सूची) (मूल्य प्रस्तुत/इंगित करने के प्रयोगार्थ)

PROFORMA FOR PRICE SCHEDULE

कार्य का नामः– गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु Hire Basis पर 24 सीटर बस की व्यवस्था।

मै/हम इसके द्वारा जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल–गोपेश्वर (चमोली) हेतु गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु Hire Basis पर 24 सीटर बस की व्यवस्था करने के लिए निविदा निस्पादित करता हूॅ/करत हैं।

मैने/हमने कार्य की लागत का 3 % (तीन प्रतिशत) की धनराशि ....FDR/CDR/NSC No.. ....मात्र, जो कि निदेशक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर के नाम देय है, FDR/CDR/NSC No के रूप में संलग्न किया है।

मैं/हम निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर निदेशक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर द्वारा उनके बुलाए जाने पर उनके द्वारा अनुबन्ध हेतु निर्धारित तिथि तक यदि कार्य/प्रारूप को संविदा/अनुबन्ध को हस्ताक्षर/निस्पादित करने में असमर्थ रहता हूॅ/रहते हूॅ/हैं, जिसका कि मैने/हमने निविदा में आहूत सूचना में विर्निदिष्ट समय में भीतर निरीक्षण किया था तो मेरे/हमारे द्वार अग्रिम धन को उत्तराखण्ड के राज्यपाल की ओर से निदेशक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर जब्त कर लेंगें।

मैं/हम उक्त कार्य के लिए निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करता हूॅ/करते हैंः–

क्रं0 सं0	वाहन	मॉडल	डीजल/पैट्रोल	वाहन का औसत प्रति लीटर (किमी0 में)	दरें प्रतिमाह (रू0 में) बिना POL के	दरें प्रतिमाह (रू0 में) POL सहित	अन्य विवरण
	24 सीटर बस						

निविदादाता का हस्ताक्षर

नाम–

पता–

फोन नं0–

स्वयं के पते का प्रमाण पत्र

संविदा अवधि में मेरा पता निम्नानुसार रहेगा, तथा इस पते पर भेजे गये समस्त पत्र चाहे मुझे प्राप्त हुए हो चाहे न प्राप्त हुए हो मेरे लिए बाध्यकारी होंगें।

पताः—

निविदादाता का हस्ताक्षर

नाम—

पता—

फोन नं0—

प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि अर्नेस्टमनी (अग्रिम धनराशि) छोडकर मेरे द्वारा कुल.....................पन्नों के अर्हताओं के प्रपत्र लगाये गये हैं, जो कि वास्तविक है। कोई भी प्रपत्र किसी भी स्तर पर असत्य पयो जाने पर निविदा शर्तो के अनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

दिनांक......................

निविदादाता का हस्ताक्षर

नाम—

पता—

फोन नं0—

निविदादाता का सत्यापित फोटा, फोटो हेतु फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र श्री..निवासी...............
....को मैं भली–भॉति जानता हूॅ, तद्नुसार इनके हस्ताक्षर व फोटो अंकित विवरण के अनुसार सत्यापित किये जाते हैं।

श्री..के

हस्ताक्षर सत्यापित

अधिकारी के हस्ताक्षर..

नाम व पद नाम मुहर सहित

''शपथ पत्र''

(वाहन चालक के लिए प्रयुक्त करें)

मै कि शपथकर्ता...उम्र......................साल पुत्र...............................ग्राम.................. ....पो0ओ0...................................पटवारी वृत्त/थाना..................................तहसील.................................. ....जिला.................................वाला ईश्वर को साक्षी कर निम्न शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ:—

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है जो सही व सत्य है।
2. यह कि शपथकर्ता वाहन स्वामी का नाम...पता.....................................के वाहन संख्या..पर चालक के रूप में कार्यरत है।
3. यह कि शपथकर्ता पहाडी/मैदानी क्षेत्र में वाहन चलाने का व्यावसायिक लाइसेन्सधारी चालक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0.....................................दिनांक.............................तथा वैधता अवधि दिनांक ....तक है।
4. यह कि शपथकर्ता का ड्राविंग लाइसेन्स मोटर व्हीकल एक्त के अन्तर्गत सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त है।
5. यह कि शपथकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आरोप किसी पटवारी क्षेत्र/थाने में दर्ज नहीं है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित नहीं किया गया है।

दिनांक ....

स्थान..

ह0 शपथकर्ता

मैं कि शपथकर्ता उपरोक्त शपथ पत्र की समस्त इबारत को अपने निजी ज्ञान से सही व सत्य होन सत्यापित करता हूँ, ईश्वर मेरी मद्द करें।

दिनांक ....

स्थान..

ह0 शपथकर्ता

''शपथ पत्र''

(वाहन स्वामी के लिए प्रयुक्त करें)

मै कि शपथकर्ता...उम्र......................साल पुत्र...............................ग्राम.................. ....पो0ओ0..................................पटवारी वृत्त/थाना...................................तहसील.................................... ....जिला.................................वाला ईश्वर को साक्षी कर निम्न शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ:–

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है जो सही व सत्य है।

2. यह कि शपथकर्ता वाहन संख्या.. स्वामी का स्वामी है तथा वाहन का व्यावसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये वैध है तथा वाहन का पंजीयन संख्या..व उसकी वैधता अवधि दिनांक............... ....तक के लिए है।

3. यह कि शपथकर्ता वाहन का व्यावसाकि उपयोग किये जाने के परिपेक्ष्य में उसक बीमा दिनांक......... ....तक वैध है।

4. यह कि शपथकर्ता का ड्राविंग लाइसेन्स मोटर व्हीकल एक्त के अन्तर्गत सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त है।

5. यह कि शपथकर्ता का वाहन किसी गैर कानूनी कार्य में संल्पि नहीं रहा है तथा वाहन स्वामी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आरोप किसी पटवारी क्षेत्र/थाने में दर्ज नहीं है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित नहीं किया गया है।

6. यह कि शपथकर्ता को किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार अथवा शासकीय एजेन्सी/प्रतिष्ठान द्वारा Debarred/ Blaclisted/Prosecuted नहीं किया गया है।

7. यह कि शपथकर्ता द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्र वास्तविक है तथा इसमें किसी भी स्तर पर भिन्नता पाये जाने पर उसके विरूद्ध की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही उसे मान्य होगी।

दिनांक ....

स्थान...

ह0 शपथकर्ता

मैं कि शपथकर्ता उपरोक्त शपथ पत्र की समस्त इबारत को अपने निजी ज्ञान से सही व सत्य होन सत्यापित करता हूँ, ईश्वर मेरी मद्द करें।

दिनांक ....

स्थान...

ह0 शपथकर्ता

समझौता ज्ञापन (M.O.U.)

आज वर्ष ....के ....महीने की...................तारीख को यह समझौता ज्ञापन के रूप में निदेशक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर (ग्राहक विभाग/संगठन का नाम) के माध्यम से (जिसे यहॉ एतदपश्चात **''ग्राहक''** कहा गया है) जिसके अन्तर्गत तब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो उसके उत्तरावर्ती भी सम्मिलि है।

तथा

दूसे पक्षकार के रूप में ....(सेवादाता का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतद्पश्चात ''सेवादाता'' कहा गया है) जिसके अन्तर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो उसके उत्तरावर्ती तथा समनूदेशिती भी सम्मिलित हैं।

के बीच निष्पादित किया गया है।

1. यह कि जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल–गोपेश्वर (चमोली) हेतु गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु Hire Basis पर 24 सीटर बस हेतु रू0 ....(..) प्रतिमाह चालक व पी0ओ0एल0 सहित की व्यवस्था पर सहमति हो गई है जिसके लिए सेवादाता द्वारा ग्राहक के पक्ष में रू0 ....(...) की NSC/DD/CDR/TDR/Bank Gaurntee बतौर Security for the due performance जमा करते हुए बन्धक किया गया है।

2. यह कि वाहन का व्यावसायिक उपयोग किये जाने का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिए तथा वाहन का बीमा की समुचित राशि की अदायगी (सभी मामलों में 100%) यथासमय करते हुए समझौते की वैध अवधि तक सभी प्रकार की देनदारियों से मुक्त रखते हुए वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3. यह कि वाहन चालक के पास मैदानी व पहाडी क्षेत्र मे ंवाहन चालने का H.M.V. . (Hravy Motor Vehicle) ड्राइविंग लाइसेन्स समझौते की वैध अवधि तक सभी प्रकार देनदारियों से मुक्त रखना होगा।

4. यह कि Motor Vehicle Act के अन्तर्गत वाहन का उपयोग समझौते चलाने की वैध अवधि तक किसी गैरकानूनी कार्य में नहीं किया जायेगा ऐसा पाये जाने पर अनुबन्ध स्वतः ही समाप्त माना जायेगा तथा इस कारण की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था की प्रतिपूर्ति की समुचित धनराशि की अदायगी सेवादाना को करनी होगी। ग्राहक इस समझौते के मध्य सेवादाता की Security Money अथवा चल–अचल सम्पति से इसकी अदायगी पाने के लिए स्वंत्रत होगा।

5. यह कि सेवादाता को वाहन की व्यवस्था के सम्बन्ध में वाहन का अनुरक्षण चालक का मानदेय के Motor Vehicle Act अन्तर्गत समस्त Tax की अदायगी यथा समय करते हुए ग्राहक को उसकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।

6. यह कि प्रस्तर–1 में उल्लिखित दर की सीमा के अन्तर्गत प्रतिमाह पर है, किन्तु ग्राहक प्राकृतिक आपदा तथा असामान्य परिस्थिति में वाहन का उपयोग सीमा के बाहर करने पर ग्राहक को अतिरिक्त पी0ओ0एल0 की अदायगी ईधन खपत की औसत के आधार पर सेवादाता को करना होगा।

7. यह कि वाहन की व्यवस्था का समझौता उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित कार्य हेतु है, यद्यपि इस समझौता के अन्तर्गत सेवादाता को समझौते की अवधि तक वाहन को मय चालक, पी0ओ0एल0 सहित चालू हालत में उपलब्ध कराना है तथापि वाहन मे कोई Mechnical Defect आने पर अथवा चालक के अस्वस्थ होने की स्थिति में अथवा अन्य किसी भी असामान्य परिस्थिति मे ंसेवादाता को अपने जोखिम पर ग्राहक को दूसरा वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा, असमर्थता की दशा में भुगतान से परिवहन विभाग द्वारा तत्समय प्रभावी निर्धारित दर से यथोचित धनराशि बतौर हर्जाने Security Money अथवा भुगतान से जैसी भी स्थिति हो से काटी जा सकेगी।

8. वाहन का उपयोग मय चालक राजकीय कार्य में आवश्यकता पडने पर 7X24 घन्टे में किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए वाहन को संस्थान परिसर मण्डल में ही खडा करना होगा।

9. यह कि समझौते के मध्य वाहन अथवा चालक को दुर्घटना अथवा चोट लगने पर अथवा हानि होने की उसकी समुचित प्रतिपूर्ति सेवादाता की होगी।

10. यह कि इस समझौते के मध्य सेवादाता के भुगतान से यथोचित धनराशि बतौर TDS के रूप में प्रभावी दरों पर कटौती की जा सकेगी।

11. यह कि समझौता जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल–गोपेश्वर (चमोली) हेतु गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु Hire Basis पर 24 सीटर बस के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सम्पादित किया जा रहा है।

किन्तु

कार्य असन्तोषजनक होने पर इसकी अनुबन्ध अवधि को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है तथा राजकीय व जनहित मे खुले बाजार से वाहन अनुबन्धित कर दिया जायेगा इस कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति अनुबन्ध में असफल पक्षकार जिसे अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा से की जायेगी। ग्राहक विभाग इस हानि की प्रतिपूर्ति सेवादाता के चल–अचल सम्पति से करने को स्वंत्रत होगा।

परन्तु

यद्यपि य समझौता वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सम्पादित किया जा रहा है जो कि दिनांक ....को समाप्त हो जायेगा तथापि प्राकृतिक आपदा तथा असामान्य परिस्थिति को छोडकर ग्राहक जैसी भी स्थिति हो की अवधि में इस समझौते को निलम्बित रख सकेगा।

12. यह कि समझौता के अन्तर्गत वाहन का उपयोग गोपेश्वर से संस्थान मुख्यालय मण्डल तक कर्मचारियों के आवागमन हेतु किन्तु आवश्यकतानुसार राजकीय कार्यो के सम्पादन हेतु वाहन को परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के चलाने हेतु अनुमोदित मोटर मार्ग पर ही चलाया जायेगा।

13. यह कि समझौता वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए है, किन्तु कार्य असन्तोषजनक होने पर इसकी अनुबन्ध अवधि को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है तथा राजकीय व जनहित मे खुले बाजार से वाहन अनुबन्धित कर दिया जायेगा इस कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति अनुबन्ध में असफल पक्षकार जिसे अनुबन्ध में सेवादाता कहा जायेगा से की जायेगी। ग्राहक विभाग इस हानि की प्रतिपूर्ति सेवादाता के चल–अचल सम्पति से करने को स्वंत्रत होगा।

14. अनुबन्धित वाहन में दोनो ओर ''जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल–गोपेश्वर द्वारा अनुबन्धित'' लिखवाना अथवा स्टीकर चश्पा किया जाना आवश्यक होगा।

15. अनुबन्धित वाहन के प्रस्तर 14 में उल्लिखि व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी क्षति का दावा भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16. यह कि अनुबन्ध अवधि में सेवादाता को अधिकार होगा कि वह लिखित सूचना देते हुये विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पर अनुबन्ध की सभी शर्तो के अधीन अनुबन्धित अवधि में वाहन तथा वाहन चालक को बदल सकेगा।

17. यदि अनुबन्ध अवधि के मध्य में राज्य स्तर से वाहन के अनुबन्ध की शर्तो में कोई बदलाव या दिशा निर्देश प्राप्त होते है तो वह तुरन्त लागू कर दिया जायेगा जो कि वाहन स्वामी को मान्य होगा।

18. यदि इस समझौते के मध्य कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निवारण निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा किया जायेगा तथा निदेशक का निर्णय सेवादाता को मान्य होगा।

19. समस्त विभागों का न्याय क्षेत्र गोपेश्वर चमोली, उत्तराखण्ड होगा।

ग्राहक के लिए और उसकी ओर से	सेवादाता के लिए और उसकी ओर से
हस्ताक्षरः–	हस्ताक्षरः–
नामः–	नामः–
पदनामः–	पताः–
साक्षीः–	साक्षीः–
1.	1.
2.	2.